रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939
No. 662] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 963(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003, के नियम 13 के उपनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुको अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"परन्तु प्राधिकरण के तारीख 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों (अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा) पर इन नियमों में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा।

परन्तु यद्र और कि प्राधिकरण के तारीख 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों (अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा) को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के उपबंधो के अधीन विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित किया जाएगा।

[फा. सं.10-32/2011-पुनर्गठन]

अमित यादव, सयुंक्त सचिव (प्रशासन)

नोट : मूल नियम, भारत के राजपत्र में तारीख 10 अप्रैल, 2003 के जी.बी.एम, 333(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2017

G.S.R. 963(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section (2) of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Contributory Provident Fund) Rules, 2003, namely;—

(1) Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Contributory Provident Fund) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(2) In the Telecom Regulatory Authority of India (Contributory Provident Fund) Rules, 2003, in rule 13 in sub-rule (1), after clause (b), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that nothing contained in these rules shall apply to the employees of the Authority (except Chairperson and members) appointed on or after the 1st day of January, 2004.

Provided further that the employees of the Authority (except Chairperson and members) appointed on or after the 1st day of January, 2004 shall be governed by the National Pension System regulated under the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013).

[F. No. l0-32/2011-Restg.]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (Admin)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide *G.BM*, 333(E), dated 10th April, 2003.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.29 11:35:36 +05'30'